International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 30-07-2021, Accepted: 15-08-2021, Published: 31-08-2021
Volume 7, Issue 4, 2021, Page No. 114-117

साम्प्रतिक संदर्भ में वृद्धों की बढ़ती समस्या एवं सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः उत्तराखण्ड के विशेष संदर्भ में

डॉ0 रवि कान्त कुमार[1], डॉ0 धर्मेन्द्र यादव[2]

[1] ग्लोबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जेंडर स्टडीज, आर्ट्स एण्ड ह्यूमेनिटीज सम्बद्ध, काफल सोसाइटी रामनगर, नैनीताल, उत्तराखण्ड, भारत

[2] अतिथि प्रवक्ता, इतिहास विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मानिला अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड, भारत

सारांश

साम्प्रतिक संदर्भ में देखा जाए तो भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समय की मांग बन गयी है। यह एक ऐसी औपचारिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य अपने समाज या क्षेत्र के रहवासियों एवं उनके परिवारों को आकस्मिक अप्रिय घटनाओं के समय एवं वृद्धावस्था में आने वाली आर्थिक समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करना है। आज जबकि बदलते सामाजिक परिवेश में औद्योगीकरण एवं नगरीकरण की अप्रत्याशित विकास दर ने संयुक्त परिवार व्यवस्था को प्रभावित किया है, पारिवारिक संरचना निरंतर कमजोर हुई है। जिसका सबसे अधिक प्रभाव परिवार के वृद्ध सदस्यों पर पड़ा है। आज पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश ग्रामीण समुदाय में सिर्फ बुजुर्ग सदस्य ही निवासरत हैं जो विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं बावजूद इसके इस क्षेत्र को गुलजार रखने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। आज समाज में संयुक्त परिवार के विघटन, धन की पूजा एवं व्यक्तिवादिता की भावना का विकास जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे परिवार एवं समाज में बुजुर्ग सदस्यों की उपेक्षा निरंतर बढ़ती जा रही है। समाज में बढ़ती वृद्धाश्रम की संख्या इसी का प्रत्यक्ष उदाहरण मात्र है। एक समय जो व्यक्ति अपने बच्चों को पालता है, उसकी हर छोटी छोटी मांग पूरी करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है तथा उसकी परवरिश के लिए आर्थिक उपार्जन करता है, वही व्यक्ति उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच कर अपने परिवार के लिए बोझ बन जाता है। उन्हें अपने ही बच्चे, जिसके लिए उन्होंने कभी अपनी खुशियां कुर्बान कर दी थी, को एक बेकार हिस्सा समझकर परिवार से बाहर वृद्धाश्रम तक पहुंचने को मजबूर कर रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि वह अपनी शारीरिक अक्षमता के कारण अपनी छोटी–छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने बच्चों के उपर आश्रित हो जाता है। जब ये बच्चे किसी कारण उनका साथ छोड़ देते हैं तो वह दाने–दाने को मोहताज हो जाता है। वृद्धों को ऐसी ही परिस्थितियों से बचाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत वृद्धा पेंशन की शुरूआत की गयी है। बावजूद इसके आज भी समाज में बहुत से ऐसे परिवार हैं, जो इस प्रकार की योजनाओं का लाभस लेने से वंचित है। प्रस्तुत शोध के आलेखन का उद्देश्य तथ्यों को प्रकाश में लाना है तथा इसके ऐतिहासिक पहलूओं पर प्रकाश डालना है।

मूलशब्दः वैश्विक समाज, औपचारिक व्यवस्था, संचार क्रांति, उपभोक्तावादी संस्कृति, आर्थिक वंचना, वृद्धावस्था पेंशन, वृद्धाश्रम, अनौपचारिक नियंत्रण

प्रस्तावना

समाज में बढ़ती बृद्धों की समस्या आज न केवल समाज बल्कि सामाजिक विचारक एवं प्रशासन के समक्ष भी एक गंभीर चुनौती बन गयी है। मानव स्वभाविक रूप से अपने बच्चों से एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन जब यह सपना टूटता है तो उस स्थिति में उन्हें सामाजिक सहारे की जरूरत महसूस होती है। इस अवस्था से गुजरने वाले बुजुर्ग सदस्यों की भावनाओं को इस रूप में स्पष्ट कर सकते हैंः

जिंदगी की तड़प है, या किस्मत का सितारा;
मिलने की आरजू है, न मिलना है दोबारा।
छूट जाएगा गलियारा ये, कब हमने था जाना;
जान ये सींचा था इनको, है पहचान हमारा।
वीराने जीवन में था बस, अपना एक सहारा;
छोड़ जाएगा मुझको वो, सोचा न जीवन सारा।

उम्र के उस पड़ाव पवर पहुंचने के बाद जब मानव शरीर आर्थिक कार्य के दृष्टि अक्षम हो जाता है एक सहारे की आवश्यकता महसूस होना स्वभाविक है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से ही केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक रूपों में सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का संचालन कर रही है। यह साम्प्रतिक वैश्विक परिदृश्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों में एक है। इसके लिए आज प्रत्येक राष्ट्र विविध रूपों में यह कार्यक्रम संचालित कर रही है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का सामान्य तात्पर्य अपने समाज के लोगों को उनके भविष्य के प्रति जागरूक करना तथा आने वाली संभावित समस्याओं एवं आर्थिक संकटों से सुरक्षित करने संबंधी प्रावधानों को सुनिश्चित करना है। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा (संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प 21 क, 1948) के अनुच्छेद 22 में सामाजिक सुरक्षा को स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि ''समाज के सदस्य के रूप में, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा का अधिकार है और वह राष्ट्रीय प्रयासों, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रत्येक राज्य की संस्था तथा संसाधन, अर्थव्यवस्था तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के माध्यम से और अपने व्यक्तित्व के मुक्तक विकास के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पाने का हकदार है। इसी घोषणा के अनुच्छेद 23 में यह स्पष्ट रूप में उल्लेखित है कि ''काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए, यदि संभव हो तो सामाजिक सुरक्षा के किसी अन्य माध्यम द्वारा'' इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम किसी भी समाज की इकाई के स्वस्थ विकास के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

समकालीन समय में भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह एक ऐसी औपचारिक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य अपने समाज या क्षेत्र के रहवासियों एवं उनके परिवारों को आकस्मिक अप्रिय घटनाओं के समय एवं वृद्धावस्था में आने वाली आर्थिक समस्याओं से सुरक्षा प्रदान करना है। यह कोई नवीन कार्य या सामाजिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि सामाजिक व्यवस्था के आरंभिक काल से ही यह प्रावधान किसी न किसी रूप में मौजूद रही है। उस समय इस प्रकार की परिस्थिति का सामना अन्य रूपों में अनौपचारिक तरीके से समाज के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। वर्तमान स्वरूप में इस कार्यक्रम या योजना की शुरूआत उन्नीसवीं सदी की देन है। वैश्विक स्तर पर सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान का श्रेय जर्मनी को जाता है, जिसने 1884 में तात्कालिक चांसलर वॉन विस्मार्क के समय कामगार क्षतिपूर्ति कार्यक्रम की शुरूआत की, तत्पश्चात 1888 में बीमारी बीमा योजना की शुरूआत की गयी। इसी दौरान ब्रिटेन एवं अमेरिका में भी सामाजिक सुरक्षा से जुड़े विविध प्रावधान किए जा रहे थे। ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने लिए 1897 में कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम तथा 1911 में राष्ट्रीय बीमा अधिनियम का प्रावधान किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परिवर्तित परिस्थितियों एवं राजनीतिक तथा लोकतांत्रिक प्रणाली के बढ़ते महत्व के कारण तात्कालिक प्रभाव से यहां की जनता के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की स्थापना की गई। अमेरिका में भी 1900 से 1920 के बीच की अवधि में इस व्यवस्था का बीजारोपन का कार्य हो गया था लेकिन इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने का प्रमाण सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1935 के लागू होने के बाद मिलता है। इसके बाद ही सन् 1943 में एकीकृत राष्ट्रीय सामाजिक बीमा प्रणाली लागू किया गया है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भारतीय सामाजिक परिवेश में बेहद महत्वपूर्ण कदम है। आजादी के बाद स्थापित लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों को स्वस्थ जीवन का अधिकार प्रदान किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहां की कुल जनसंख्या 1210193422 है, जिनमें 1210.85 मिलीयन युवा वर्ग है जबकि आर्थिक रूप से श्रमसाध्य कार्य करने में अक्षम बुजुर्ग व्यक्तियों की संख्या लगभग 104 मिलीयन है। एक बिडम्बना यह भी है कि आज के दौर में बदलती रोजगार की प्रकृति, औद्योगीकरण तथा तकनीकी के विकास ने शिक्षित बेरोजगारों की एक बड़ी फौज खड़ी करने का कार्य किया है। पीउ रिसर्च सेन्टर के एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में देश की लगभग 18.6 मिलीयन व्यक्ति बेरोजगार हैं जबकि 393.7 मिलीयन किसी तरह अस्थायी एवं योग्यता के परे काम से जुड़कर अपने एवं अपने परिवार का भरण–पोषण कर रहे हैं। ये बेरोजगार या आंशिक रूप से रोजगारपरक व्यक्ति आज अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा भौतिकवादी चकाचौंध से दिग्भ्रमित होकर अपराध की दिशा में बढ़ जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण एनसीआरबी के ऑकड़ों से पता चलता है। एक अध्ययन में यह भी पता चला है कि आज भी आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के युवा एवं मलिन बस्तियों में निवास करने वाले युवा अपराधिक गतिविधियों में अधिक संलिप्त है। योजना जुलाई 2017 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक रूप से गरीबी रेखा से उपर जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों में से प्रत्येक वर्ष छह करोड़ तीस लाख व्यक्ति अपने आर्थिक स्थिति में गिरावट के कारण गरीबी रेखा के नीचे या उसके आस–पास की स्थिति को प्राप्त करता है। इसका एक प्रमुख कारण है, बदलते समय के साथ मंहगी होती चिकित्सा व्यवस्था। ऐसे में एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि उसके समस्त इकाई और खासकर जो आर्थिक रूप से निम्न वर्गीय श्रेणी से है, के लिए सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया जाए।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिगत सर्वप्रथम सन 1923 में कामगार श्रमिक अधिनियम का प्रावधान किया गया है। वर्तमान समय में विविध रूप में संचालित पेंशन योजनाएं, सहायता योजाएं तथा बीमा योजनाएं इस बदलती परिस्थितियों की मांग के कारण अस्तित्व में है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्तमान समय में केन्द्र प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को अपने परिवेश की मांग के अनुरूप लागू करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहुद्देशीय सामाजिक सुरक्षा योजना जिनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, आयुष्मान भारत तथा अटल पेंशन योजना के अतिरिक्त अशक्त एवं वृद्ध गृहों का संचालन, राजकीय भिक्षुक गृह का संचालन, वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनसे राज्य का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हो रहा है।

सामाजिक सुरक्षा योजना वह योजना है जो व्यक्ति को संकट के समय सहायता प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक समाज में होने वाली परिस्थितियों से आपको सुरक्षा प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत जोखिमों व आकस्मिक घटनाओं के होने पर सुरक्षा प्रदान की जाती है। सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति को बीमारी, आरोग्यता, मातृत्व, वृद्धावस्था व मृत्यु से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है। इन सामाजिक सुरक्षा की यह विशेषता होती है कि यह व्यक्ति को अपना तथा अपने परिवार का भरण–पोषण व कही अन्य समस्या होने पर प्रदान की जाती है। यह सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति को बीमारी के समय जब वह कमाने योग्य न हो, तो उसे लाभ प्रदान करती है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम से आशय यह है कि उससे व्यक्ति को जीवन में कुछ जोखिम तथा आकास्मिक घटनाओं के भार से सुरक्षा मिलती है। भार जो वह स्वयं वहन करने में असमर्थ होता है। सामाजिक सुरक्षा योजना के माध्यम से वहन कर सकता है। इसमें हानि की मात्रा एक प्रकार से समाज के कई लोगों में बंट जाती है। वर्तमान समय में यह विविध रूपों में प्रचलित है, इनमें वृद्धा पेंशन एक महत्वपूर्ण योजना है।

उत्तराखण्ड में संचालित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम एवं उसकी वास्तविक दशा

वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में विविध रूपों में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है (स्रोतः www.ssp.uk.gov.in)–

अशक्त एवं वृद्ध गृहों का संचालन

वृद्ध एवं अशक्त पुरूषों एवं महिलाओं के लिए 50 की क्षमता के दो आवासीय गृह चमोली एवं बागेश्वर में संचालित हो रहे हैं। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा तथा निःशुल्क भोजन, औषधि आदि की व्यवस्था का प्रावधान है।

राजकीय भिक्षुक गृह का संचालन

भिक्षावृति जैसी सामाजिक कुप्रथा को हतोतसाहित करने तथा उसके उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1975 से उ.प्र.सरकार ने भिक्षावृति प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है। इसके अतर्गत उत्तराखण्ड के हरिद्वार स्थित प्रदेश का एकमात्र भिक्षुक गृह संचालित है। इसमें 200 भिक्षुओं को रखने की व्यवस्था है।

अकिंचन मृतकों के दाह–दफन संस्कार हेतु अनुदान

लावारिस शवों तथा निर्धन व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उनके अन्तिम संस्कार हेतु राज्य सरकार प्रति व्यक्ति रूपये 2500 की दर से दाह संस्कार पर व्यय करती है।

कश्मीरी विस्थापितों को आर्थिक सहायता

प्रदेश में कश्मीरी विस्थापितों के लिए आर्थिक सहायता योजना संचालित है, जनपद देहरादून में लगभग 43 कश्मीरी विस्थापित परिवार हैं, इन परिवारों के भरण–पोषण हेतु पूर्व में रू. 750 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। इस भरण–पोषण की धनराशि को पुनरीक्षित करते हुए 01 अप्रैल, 2005 से रूपये 1125 प्रतिमाह कर दिया गया है। भरण–पोषण की धनराशि लाभार्थियों को जिलाधिकारी के माध्यम से दी जाती है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना

सामाजिक सुरक्षा के अतर्गत निराश्रित वृद्धजनों को उनके भरण–पोषण हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गयी है। जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों को निम्न मानकों/शर्तों के अतर्गत पेंशन प्रदान करने की योजना है।

पेंशन पाने हेतु नियम

- लाभार्थी की उम्र 60 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी बी0पी0एल0 परिवार का हो अथवा उसकी मासिक आय रू. 4000 तक हो।
- अभ्यर्थी के कोई पुत्र/पौत्र यदि 20 वर्ष से अधिक आयु के हो किन्तु गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हो तो ऐसे अभ्यर्थी पेंशन से वंचित नहीं किया जायेगा।
- गरीबी की रेखा के नीचे जीवन–यापन करने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के समस्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में पात्र होंगे।
- 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्धजन जो बी. पी. एल. चयनित परिवार के सदस्य न हों उन्हें पेंशन की पूरी धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन० एस० ए० पी०)

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में चार प्रकार की उपयोजनाओं का संचालन किया रहा है–

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही वृद्धावस्था पेंशन योजना के साथ संचालित की जाती है। 60 वर्ष एवं इससे ऊपर के पेंशनर जो बी० पी० एल० परिवार के हों, को रूपये 1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। जिसमें 80 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को रूपये 200 प्रतिमाह केन्द्र सरकार द्वारा तथा रूपये 800 राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को मिलने वाले पेंशन में केन्द्र सरकार द्वारा देय बढ़कर रूपये 500 प्रतिमाह हो जाता है तथा राज्य सरकार का देय रूपये 800 से घटकर रूपये 500 और कुल रूपये 1000 प्रतिमाह हो जाता है।

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना

इस योजना में निराश्रित दिव्यांग पेंशन पाने के पात्र व्यक्तियों में से ही बी० पी० एल० चयनित परिवारों के 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु के 80 प्रतिशत दिव्यांगता अथवा बहुदिव्यांगता वाले दिव्यांग व्यक्तियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना में राज्य सरकार द्वारा रूपये 700 तथा केन्द्र सरकार द्वारा रूपये 300 कुल रूपये 1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।

इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

इस योजना में वैसी विधवा महिला को जो निराश्रित हों, में से ही बी० पी० एल० चयनित परिवारों की 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को पात्र माना जाता है। इस योजना में दिनांक 1.10.2012 से राज्य सरकार द्वारा रूपये 700 तथा केन्द्र सरकार द्वारा रूपये 300 कुल रूपये 1000 प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इस योजना में ऐसे परिवार जो बी० पी० एल० की श्रेणी में आते हैं, के कामगार सदस्य की मृत्यु होने पर रूपये 20,000 की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है, जिसके लिए आयु सीमा 18 से 59 वर्ष निर्धारित की गयी है। इसका संचालन जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जाता है। यह योजना पूर्णरूपेन केन्द्र प्रायोजित है।

निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान

इस योजना के अंतर्गत वैसी निराश्रित विधवायें जो कि विधवा पेंशन पाने की पात्र होती है, की पुत्रियों के विवाह हेतु रूपये 50,000 का अनुदान दिया जाता है।

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह हेतु प्रोत्साहन योजना

इस योजना का उद्देश्य अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह को प्रोत्साहन देना है। इसके लिए सरकार द्वारा ऐसे युवक/युवतियों को जो अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह करते हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप रूपये 50,000 एकमुश्त प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

वृद्धा पेंशन

वृद्धा पेंशन योजना वह योजना है जो वृद्ध लोगों को प्रदान की जाती है। ये पेंशन उन बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर होती है व जिनके पास अपने खर्च के लिए कोई नियमित आय का साधन नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। केन्द्र व राज्य सरकार ने देश के वरिष्ठ नागरिकों को जीवन यापन में मद्द करने के लिहाज से हर महीने एक तय रकम देने के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना बनायी है। वह हर राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना की रकम अलग–अलग होती है।

इतिहास इस बात का प्रमाण है कि प्राचीन काल में वृद्धों की स्थिति सम्मान जनक थी, परिवार की समस्त बागड़ोर उनके हाथों में थी व परिवार के सदस्यों को एक धागे में बांधे रखते थे। परन्तु भौतिकवादी युग में वृद्धों की समस्याओं का बढ़ना एवं समाज में उनकी उपयोगिता कम नजर आ रही है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम पढ़ाव है व इस समय कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। भरण–पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पढ़ता है। शारीरिक व आर्थिक दृष्टि से वह विवश हो जाते हैं। चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित इस स्थिति में उनकी स्थिति खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वह युवा पीड़ी से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। यह समस्या किसी एक देश या राज्य की नहीं है बल्कि सारा विश्व इस समस्या को झेल रहा है। इन समस्याओं में सबसे प्रमुख समस्या शारीरिक समस्या है। इस समस्याओं को देखते हुए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे वृद्धों के साथ–साथ अन्य लोगों को भी योजनाओं का लाभ हो सके इन योजनाओं में प्रमुख है स्वास्थ, बीमा, मातृत्व, आरोग्यता, वृद्धावस्था व मृत्यु है। इन योजनाओं में एक प्रमुख सरकारी योजना वृद्धा पेंशन योजना है।

सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के द्वारा बुजुर्ग लोगों को पेंशन देती है राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन की योजना की शुरूआत वर्ष 1995 में हुई थी। वृद्धा अवस्था पेंशन योजना का क्रियान्वयन के केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा मिल कर चलाया जाता है। वृद्धा पेंशन योजना में जो रकम वरिष्ठ नागरिकों को मिलती है उसमें कुछ हिस्सा केन्द्र का या कुछ हिस्सा राज्य सरकार का होता है

सरकारी आकड़ों के मुताबिक इस समय देश के 3.5 करोड़ लोगों को इस योजना से लाभ प्राप्त हो रहा है। केन्द्र सरकार के ओर से 3.19 को व राज्य सरकार की ओर से 28.74 लाख वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले वृद्धावस्था पेंशन योजना में भाग लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की आयु 65 वर्ष थी परन्तु 2011 में इसे घटाकर 60 वर्ष कर दी गई है। इस वृद्धावस्था पेंशन का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है जो लोग गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) जीवन यापन कर रहे है। इस योजना का लाभ व वृद्ध व्यक्ति भी उठा सकते है जो कि बी0पी0एल0 परिवार के नहीं हैं वे भी इस वृद्धा पेंशन का पूरा लाभ उठा सकते है। 60 वर्ष से 79 वर्ष तक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 300 से 1000 रुपये की दर से पेंशन का लाभ दिया जाता है। इस रकम में 200 रुपये भारत सरकार व शेष रकम राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। 80 वर्ष से या इससे अधिक उम्र के वृद्धों को प्रतिमाह 500 रुपये की दर से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के रूप में प्रदान की जाती है। इस योजना को 1 अप्रैल 2019 से इसके आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाईन कर दिया गया है।

निष्कर्ष

अध्ययन से यह स्पष्ट है कि समकालीन समाज में अन्य सामाजिक चुनौतियों के समान ही बृद्वों की समस्या भी एक गंभीर विचारनीय मुद्दा बन गया है। कुछ समय पूर्व तक परिवार की बागडोर जिनके हाथ होती है, उम्र के इस पड़ाव पर उनकी उपेक्षा भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है। उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण आज मानव जिस रूप में स्वयं को एक नोट छापने वाली मशीन के रूप परिवर्तित करता जा रहा है, निकट भविष्य में यह एक गंभीर सामाजिक समस्या का रूप धारण कर सकती है। आज के समाज में येन–केन–प्रकारेन धन कमाना ही एकमात्र उद्देश्य बनता जा रहा है। इस कारण समाज में अनेक समस्याएं उभर रही है। इनमें अपने ही परिवार में वृद्धों की उपेक्षा एवं उन्हें वृद्धा आश्रम में निवास करने को बाध्य करने संबंधी समस्या ऐसीा ज्वलंत मुद्दा है, जिसने शासन, प्रशासन एवं सामाजिक विचारक को इस दिशा में सोचने पर मजबूर किया है। यही कारण है कि आज वृद्धा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान करना प्रशासन के लिए आवश्यक हो गया था। यह वृद्धों व गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दी जाती है। इसके तहत ऐसे वृद्ध जन जो अपने भरण–पोषण की क्षमता नहीं रखते हैं उनको लाभांवित किया जाता है। इस योजना का लाभ 60 वर्ष की उम्र पार के लोगों व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिया जाता है अगर किसी परिवार में कोई वरिष्ठ नागरिक है। और उनके खर्च के लिए नियमित आय का कोई साधन नहीं है तो केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा उन्हें वृद्धा पेंशन योजना की ओर से मासिक पेंशन सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपने जरूरतों को पूरा कर सकें। यह आज के बदलते समय के लिए अत्यन्त आवश्यक हो चुका है। इसके अभाव में समाज में मानवीय जीवन संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन इससे भी अधिक विचारनीय प्रश्न यह है कि हम किस दिशा की ओर अग्रसर हैं। आज हम अपने बुजुर्ग माता–पिता या परिवार के अन्य सदस्यों को बोझ समझकर अपने से दूर करने में तनिक भी नहीं सोचते, लेकिन यह भूल जाते हैं कि कल हमें भी उसी पड़ाव से गुजरना है। यह कल्पना ही अपने आप में एक भ्यावह मंजर के निर्माण के लिए काफी है।

संदर्भ सूची

1. योजना जुलाई 2017
2. युथ इन इंडिया, भारत सरकार, 2017
3. कुरूक्षेत्र मासिक पत्रिका, 2019
4. मसिक पत्रिका योजना जुलाई 2017
5. www.ssp.uk.gov.in
6. www.censusindia.gov.in
7. www.uk.gov.in
8. www.india.gov.in
9. www.socialwelfare.uk.gov.in
10. www.schooleducation.uk.gov.in
11. www.pewresearch.org